

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान सुखदेव सिंह बनाम जीता सिंह आदि
 प्रकरण संख्या 58 / 2023 अन्तर्गत धारा 212 RTA शान .

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेशनांव पालना में जा
23 ¹⁰ / ₂₄	प्राची अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्राची की तलवी हेतु सम्बन्ध तलवाना पेश हो। पत्रावली मे RT की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली दिनांक 23/10/24 को पेश हो	
27 ¹¹ / ₂₄	प्राची अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्राची की तलवी पंजीकृत डाकू से करवाए जाने के आदेश दिए जाते हैं। नोटिस, तलवाना पेश हो। RT की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 26/11/24 को पेश हो।	
26 ¹² / ₂₄	प्राची अधिवक्ता उपस्थित। तलवी प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इतजार तलवी दिनांक 29/01/25 को पेश हो।	
29 ⁰¹ / ₂₅	प्राची अधिवक्ता उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटप्रेस किया। प्राची अधिवक्ता को सूना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राची का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थापी विधेधारा दिनांक 01/06/23 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली विणीति लोकूर बम्बर से कम होकर गार्विल पत्र हो।	

गोपनीय
 अभिलेख
 2024



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर